



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2022/4009

भोपाल, दिनांक 14.09.2022

अधिसूचना

विश्वविद्यालय में निम्नानुसार संचालित नवीन स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अंतर्गत निम्नलिखित सेमेस्टरों हेतु निम्नानुसार ओपन इलेक्टिव प्रश्न-पत्र निर्धारित किए जाते हैं।

सत्र अगस्त 2020 में प्रारंभ नवीन स्नातक पाठ्यक्रमों के पंचम सेमेस्टर हेतु

क्र.	पाठ्यक्रम	ऐच्छिक (Open Elective) विषय	संचालक विभाग
1	स्नातक (प्रत्येक विषय में 3 क्रेडिट)	Retail Management (5BBAEC)	मीडिया प्रबंधन
		Photo Editing with Photoshop (5BCA)	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
		Sound Editing with Audicity (5BCA)	पत्रकारिता
		Writing for Sports (5BAJCV)	पत्रकारिता
		Data Analytics for Journalism (5BSCMM/GA)	नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी
		Quality Control and Supply Chain Management (5BTECHPP)	जनसंचार
		Television Production (5BAMC)	जनसंचार

2) विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम में इन ऐच्छिक विषयों में से किसी एक का चयन कर संबंधित विभाग, परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं में इसका अध्ययन करेंगे।

3) सत्र 2020 से प्रारंभ नवीन स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में CBCS के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर हेतु अधिसूचना क्रमांक 98/अका./2021 दिनांक 18-01-2021, द्वितीय सेमेस्टर हेतु अधिसूचना क्रमांक/Q/अका./2021 दिनांक 03-05-2021, तृतीय सेमेस्टर हेतु अधिसूचना क्रमांक/1441/अका./2021 दिनांक 25-10-2021 एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु अधिसूचना क्रमांक/अका./2022/398 दिनांक 10-03-2022 के द्वारा प्रावधानित किये गये ऐच्छिक विषय (OE) लागू रहेंगे।

4) विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उपरोक्त में से केवल उन्हीं ऐच्छिक (Open Elective) विषय का चयन कर सकेंगे जिनके अध्यापन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर परिसर अथवा संबद्ध अध्ययन संस्थान द्वारा की जा सकती है।

CBCS पद्धति के नये पाठ्यक्रम संबंधित विभाग से अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in के Download सेक्शन से डाउनलोड/प्राप्त किये जा सकते हैं।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक .09.2022

पृ.क्र./अका./2022/4010

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. प्रो. पी. शशिकला, डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
3. सभस्त विभागाध्यक्ष/ परिसर प्रभारी/समन्वयक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव